भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2396

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

पीएम-दक्ष योजना

2396. श्रीमती हिमाद्री सिंहः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ख) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), डी.एन.टी. और कचरा बीनने वालों सहित स्वच्छता कर्मियों सहित लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना किस हद तक तैयार की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): केंद्रीय क्षेत्र की योजना, पीएम-दक्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जनजाति (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कचरा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों के क्षमता स्तर को बढ़ाना है ताकि उन्हें गुणवत्तापरक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से वेतन-रोजगार और स्व-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके।

इस योजना को वर्ष 2021-22 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 450 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसमें 2,71,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिनमें से वर्ष 2023-24 तक 1,55,208 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

******